न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 10/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सज्जनसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत निवासी मालगांव तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भगवान सिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:30.12.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 08/2018 सरकार बनाम सज्जनसिंह में निर्णय दिनांक 16.01.2019 के तहत मौजा मालगांव के खसरा नं. 325 व 270 गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.02.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 14.02.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 8/18 की पत्रावली की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, खतौनी संवत 2006 की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत 2067--70 की फोटोप्रति तथा नक्शा ट्रेस किश्तवार की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–चूंकि अपीलांट के विरूद्व इकतरफा मे निर्णय जैर अपील पारित किया गया है तथाकथित पूर्व के मु.नं. 42/18 का हवाला देकर अपीलांट को इस प्रकरण मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा का निर्णय व आदेश पारित किया है उक्त पूर्व के प्रकरण सं. 42/18 की अपील विचाराधीन है इसके अलावा उक्त पूर्व के प्रकरण मे खसरा नं. 328 गै.मु. रास्ता मौजा मालगांव पर अतिक्रमण बताया गया था लेकिन वर्तमान प्रकरण मे खसरा नं. 325 गै.मु. गोचर व खसरा नं. 270 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. रास्ता मौजा मालगांव पर अतिक्रमण बताया गया है प्रथम अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कोई कब्जा अतिक्रमण नही है दोयम मे पूर्व की कार्यवाही व इस कार्यवाही के खसरा नम्बरान अलग अलग है तृतीय मे खसरा नं. 750/325 रकबा 83 बीघा 14 बिस्वा अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है इस प्रकार अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा अतिक्रमण नही होत हुए भी गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण की गई मिथ्या रिपोर्ट को आधार बनाकर व तारीखो मे कांट छांट कर अपीलांट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई मामला प्रमाणित हुए बिना ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर उसे सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी त्रुटि की है क्योकि अपीलांट ने किसी भी रूप मे खसरा नं. 328 गै.मु. रास्ता की भूमि पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नही किया है न ही ऐसा पटवारी व आरआई हल्का की रिपोर्ट मे है इसके बावजूद भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास से दण्डित करने का

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर नागौर राजस्थान

आदेश देकर व गिरफ्तारी करवा कर हिरासत मे भिजवाने मे भारी कानूनी त्रुटि की है अपीलांट बिना वजह दिनांक 06.02.19 से हिरासत भुगत रहा है।

{2}(III)–अपीलांट के कब्जे काश्त सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 750/325 रकबा 83 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा मालगांव के दक्षिणी हिस्से मे से गांव भदाणा जाने की डामर सडक बन जाने से उक्त खेत दो हिस्सो मे विभाजित हो गया तथा रास्ता/सडक मौके पर चालू है उसके दोनो तरफ अपीलांट की सहखातेदारी की जमीन आई हुई है तथा खातेदारी की भूमि के अलावा किसी भी भू भाग पर कोई कब्जा अतिक्रमण न तो रहा न आज दिन है इसके बावजूद बिना किसी प्रकार का नाप चोप किये मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है।

{2}(IV)–अपीलांट के उक्त खेत के दक्षिणी तरफ मालगांव से मांझवास मुड्डिया सडक चलती है इस सडक के चिपते ही काफी लोगो को बाडे एलोट किये हुए है जिनको नक्शा मे भी दर्शाया हुआ है उक्त बाडे मानाराम जाट, उम्मेदाराम कुम्हार, मलाराम कुम्हार, हरदीनराम जाट, थानाराम जाट वगैरा को एलोट हो रखे है इनकी नियत अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि जो कथित सडक के दक्षिण तरफ छोटे टुकडे के रूप मे स्थित है उसको हडपने की रही है इसी कारण नाजायज गुट बना कर अपीलांट के विरूद्व झूठी शिकायते करके अलग अलग मुकदमे दर्ज करवा रहे है तथा नाजायज तंग परेशान किया जा रहा है इस संबंध मे तहसीलदार वगैरा ने अपने स्तर पर किसी भी रूप मे निष्पक्ष जांच नही की है यदि मौके की सही जांच व नाप चोप करते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती, ऐसी स्थिति मे अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त होते हुए भी उसे झूठा अतिक्रमी बताकर उसके विरूद्व ऐसा कठोरतम आदेश पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी व वाकियाति त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(V)–अपीलांट के विरूद्व पूर्व मे भी झूठी रिपोर्ट कर मु.नं. 42/18 दर्ज करवाया जिसके विरूद्व विस्तृत तथ्य दर्ज करते हए अपील पेश की हुई विचाराधीन है। प्रकरण हाजा मे तथाकथित जो अतिक्रमण रास्ता पर बताया गया है इस संबंध मे अपीलांट का निवेदन है कि मौके पर अपीलांट का किसी भी रास्ते की एक इंच भूमि पर भी कोई कब्जा अतिक्रमण नही है इस बाबत अपीलांट अपना शपथ पत्र पेश करने को तैयार है।

{2}(VI)–अपीलांट की सहखातेदारी का जो खेत खसरा नं. 750/325 रकबा 83 बीघा 14 बिस्वा रहा है उसका कभी भी विधिवत कोई नाप चोप तहसीलदार ने बावजूद निवेदन के नही किया है तथा इस खसरा मे से सडक मे कितना रकबा गया व सडक के दोनो तरफ खातेदारी का रकबा कितना रहा है इसकी यदि तहसीलदार अपने स्तर पर जांच व नाप चोप करते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर तहसीलदार ने ऐसा जानबूझकर नही किया व अपीलांट के साथ धोखाधडी करते हुए राजनेतिक दबाव व प्रभाव के चलते अपीलांट को अलग तारीख पेशी बताकर बाद मे तारीख पेशी मे कांट छांट कर उसकी गैर हाजरी बताकर पीठ पीछे उक्त निर्णय पारित किया है ताकि अपीलांट को येन केन प्रकारेण जेल मे भिजवाया जाकर उसकी प्रतिष्ठा धूमिल की जा सके इसी कारण अपीलांट के विरूद्व झूठी शिकायत करने वाले लोगो ने मिलावटी ढंग से निर्णय जैर अपील पारित करवाया है जो विधि सम्मत निर्णय नही है निरंकुश निर्णय की तारीफ मे आता है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–दिनांक 11.01.19 की आदेशिका मे अपीलांट की हाजरी दर्ज की है। मगर आदेशिका मे उसके कोई उपस्थित बाबत हस्ताक्षर नही है न ही उसको दिनांक 16.01.19 की तारीख पेशी की जानकारी दी गई, अपीलांट को दिनांक 07.01.19 के बाद आगे दिनांक 07.02.19 की दी गई थी, मगर अपीलांट के जाने के बाद उनमे कांट छांट करके मनमर्जी से दूसरी तारीख निश्चित कर निर्णय कर बाले बाले गिरफ्तारी वारंट जारी कर अपीलांट को न्यायिक हिरासत मे भिजवाया गया। इसलिये निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा मालगांव में स्थित गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मालगांव के खसरा नंबर 325 व 270 गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को

अपर कलक्टर, नागौर

विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर व रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इससे पूर्व अपीलांट को आराजी खसरा नं. 325 व 270 से भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो, ऐसी कोई फर्द पत्रावली पर नही है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बेदखली दिनांक 03.07.18 के अनुसार खसरा नं. 328 से अतिक्रमण हटाये गये है। इनमे अपीलांट का भी अतिक्रमण हटाया गया हो, ऐसा कही भी उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति मे अतिक्रमण की पुनरावृत्ति होना साबित नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। शेष बेदखली व जुर्माना से संबंधित आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर
नागौर